



, vj b&M; k fy- dsl nL; k&ds l e{k Lora- y&k i jh{k&dh fh i k&Z

foUk; fooj.k&ij fh i k&Z

हमने एअर इंडिया लि. (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक की अवधि का तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण व नकदी प्रवाह विवरण तथा सार्थक लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।

foUk; fooj.k&ds fy, i z&k oxZ dh ft E&nkj h

कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उपधारा (3-सी) में उल्लिखित लेखा मानकों (एएस) के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उनकी उचित प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उनका रिकार्ड रखना सम्मिलित है। ये वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती से मुक्त होते हैं।

y&k i jh{k& dh ft E&nkj h

लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो, अतः हम इस आश्वासन को उचित रूप से पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।

लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा डिज़ाइन की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

DokylQ&M er ds vl&kj

1. हम रैमको (नई प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए नए एकीकृत इनवेंटरी सॉफ्टवेयर में इनवेंटरी शेषों को अंतरित करने के संबंध में टिप्पणी संख्या 1 (ग) (4), टिप्पणी संख्या 62 तथा 66 के साथ पढ़ने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं।

क) कंपनी ने वर्ष के दौरान, मरम्मतयोग्य मदों के संबंध में टिप्पणी सं. 62 के साथ पठित टिप्पणी सं. 1 (ग) (4)(ii) में उल्लिखित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है तथा अब इन्हें केवल स्क्रेप के समय व्यय में दर्शाया जाएगा। अतः मरम्मतयोग्य मदों को जारी करते समय खपत के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में खपत के रूप में प्रभारित 14,667.2 मिलियन रुपए राशि की इनवेंटरी को पुनरांकित किया गया तथा 8,692.8 मिलियन रुपए (प्रावधानों के निवल) की राशि को अपवादात्मक मद के रूप में लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट किया गया है। जैसाकि उक्त टिप्पणी में उल्लिखित है कि इन इनवेंटरी के संबंध में लागू भारत औसत उपलब्ध नहीं थी तथापि इन्हें 5,273.7 मिलियन रुपए के नवीनतम उपलब्ध भारत औसत पर आंका गया है तथा जहां उपलब्ध है वहां इन्हें 9393.5 मिलियन रुपए के कैटलॉग मूल्य पर आंका गया है। पुनरांकित की गई इन इनवेंटरी में मरम्मत न होने योग्य मदें (उपयोग न होने की स्थिति वाली तथा मरम्मत होने वाली मदें), निःशुल्क प्राप्त मदें, कैनीबलाइज्ड मदें तथा विमान के साथ प्राप्त मदें सम्मिलित हैं जिन्हें नवीनतम भारत औसत लागत/कैटलॉग मूल्य पर भी आंका गया है।

पहले ही चार्ज ऑफ किया गया इनवेंटरी का पुनरांकन स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक-10 के साथ पठित इनवेंटरी संबंधी लेखांकन मानक-2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार इनवेंटरी के उपयोग के समय इन्हें चार्ज ऑफ किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सूचना के अनुसार इन मदों का कोई निश्चित जीवनकाल नहीं होता है। नवीनतम भारत औसत अथवा कैटलॉग मूल्य पर इन मदों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा



अनुसरण की जा रही लेखांकन नीति के अनुरूप भी नहीं है। साथ ही यह इनवेंटरी संबंधी लेखांकन मानक-2 के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है जिसके अनुसार, इनवेंटरी को लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, पर आंका जाता है। वर्ष के अंत में 11,825.7 मिलियन रुपए की राशि की पहचान की गई अनसर्विसेबल मदें, निःशुल्क प्राप्त मदें, कैनीबलाइज़्ड तथा विमान के साथ प्राप्त मदों को शून्य रुपए पर आंका जाना अपेक्षित होता है जबकि 11363.5 मिलियन रुपए की राशि के सर्विसयोग्य मदों, नवीनतम भारित औसत अथवा कैटलॉग मूल्य (निश्चित राशि निर्धारित नहीं) पर आंकी गई इन मदों को लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम है पर आंका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई प्रणाली में अंतरित की गई सामग्री की मात्रा के स्रोत के संबंध में दस्तावेज़ अपर्याप्त हैं। इनवेंटरी के क्लोजिंग मूल्य पर इनके निश्चित प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है। जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने लेखों में 5,974.4 मिलियन रुपए के किए गए कुल प्रावधान में से अनसर्विसेबल मदों के लिए 3,255.40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया है। उपयुक्तता अथवा अन्यथा मूल्य सुधार के लिए लेखों में किए गए प्रावधानों के लिए हम अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 8570.3 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शाई गई है जबकि इसके समग्र प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सका है।

- ख) आगे के संदर्भ में, जहां 725 मिलियन रुपए की अचल इनवेंटरी की पहचान की गई है लेकिन इसका प्रावधान किया जाना शेष है। उल्लिखित लेखांकन नीति का अनुपालन लंबित है। अतः वर्ष के लिए इस सीमा तक हानि कम दर्शाई गई है।
- ग) जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि नई प्रणाली में इनवेंटरी मदों का अंतिम मूवमेंट उपलब्ध नहीं है तथा मात्रा संबंधी सहायक विवरण एवं नई प्रणाली में अंतरित किए गए विवरण को दस्तावेज़ों से प्रमाणित नहीं किया गया है। यदि इनवेंटरी पुनरांकित की गई है तो नई प्रणाली में अंतरण की तिथि के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई है जो लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय तक मूव न की गई मदों की पहचान अचल के रूप में की जाए तथा उनके लिए प्रावधान किया जाए। अतः इनवेंटरी के अग्रेषित मूल्य पर उपर्युक्त का निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं है।
- घ) इसके अतिरिक्त यदि विभिन्न ओपन कार्य आदेशों के लिए एक्सपेनडेबल्स जारी किए गए तो प्रावधान में 481.98 मिलियन रुपए की कमी के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।
- ड.) जैसाकि टिप्पणी सं. 39 में उल्लिखित है कि नई प्रणाली में इनवेंटरी शेषों के अंतरण के अनुसरण में रोटेबल्स के रूप में वर्गीकृत मदों को अनुमानित मूल्यों के आधार पर पूरी तरह लेखाबद्ध नहीं किया गया है तथा कुछ मामलों में इन्हें इनवेंटरी तथा रोटेबल्स दोनों में लिया गया है। हम, उपयुक्तता अथवा अन्यथा इनवेंटरी में सम्मिलित किए गए रोटेबल्स के मूल्य के लिए 415.3 मिलियन रुपए (उपर्युक्त उल्लेखानुसार कुल तदर्थ प्रावधान में सम्मिलित) के तदर्थ प्रावधान तथा उनके 830.60 मिलियन रुपए तक होने संबंधी अभिज्ञान जिसके लिए पूरी तरह प्रावधान किया जाना चाहिए था, के संबंध में अपनी राय निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में चालू परिसंपत्तियों, स्थिर परिसंपत्तियों तथा मूल्यहास पर निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनर्वर्गीकृत अथवा नई प्रणाली में मरम्मतयोग्य के रूप में रखी गई मदों के लिए अपनाए गए मूल्यांकन का आधार भी उपयुक्त रूप से दस्तावेज़ों की सहायता से प्रमाणित नहीं किए गए हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- च) जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है, नई प्रणाली में शेष को अंतरित करने की प्रक्रिया में उपयुक्त दस्तावेज़ तथा आंतरिक नियंत्रण नहीं है तथा अंतरण संबंधी लेखा परीक्षण (माइग्रेशन ऑडिट) नहीं किया गया है। थर्ड पार्टी के साथ इनवेंटरी के संबंध में शेषों की पुष्टि भी लंबित है। उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला सटीक प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- छ) जैसाकि नोट नं. 66 में उल्लेख किया गया है, लेखांकन नीति में आगे के परिवर्तन के अनुसरण में कंपनी ने ए-310 विमान संबंधी इनवेंटरी के लिए 'प्रावधान अपेक्षित नहीं' मद के तहत 583.9 मिलियन रुपए की राशि पुनरांकित की है। ए-310 विमान गत वर्षों में चरणबद्ध रूप से हटा दिए गए हैं तथा जिनके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और जिन्हें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अनुरक्षण कार्यों के लिए उपयोग किया जाना है। लेखांकन नीति में परिवर्तन "लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों" संबंधी लेखांकन मानक-5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसलिए पुनरांकित की गई राशि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।



इसलिए हमारी राय में, वर्ष के अंत में इनवेंटरी में उल्लिखित शेषों के लिए 10,294.5 मिलियन रुपए की राशि अधिक दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में 10,294.5 मिलियन रुपए की हानि दर्शायी गई है। मात्राओं/मूल्यांकों में मूल्यांकन/अंतरों के निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं हैं तथा इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन भी लेखांकन मानक-5 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

2. जैसाकि टिप्पणी संख्या 81 में उल्लिखित है कि कंपनी के पास 28425.2 मिलियन रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति का निवल शेष है जिसे वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 के लेखों में लिया गया था। बाद के वर्षों में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में केवल आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही लेखों में लिया गया। चूंकि कंपनी ने लेखा मानक-22 के अंतर्गत अनुबद्ध वास्तविक निश्चितता, आय पर कर, वर्ष 2009-2010 में निश्चित नहीं की थी, अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को वर्ष 2009-2010 के लाभ एवं हानि खाते में डाला जाना चाहिए। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्वावधि समायोजन के शेष को 28425.2 मिलियन रुपए से कम दर्शाया गया तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत आस्थगित कर परिसंपत्ति के शेष को उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया। इसके परिणामी प्रभाव के कारण तुलन-पत्र में अग्रणीत "वर्ष की कर पश्चात् हानि" को 28425.2 मिलियन रुपए तक कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति को 5,904.3 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देयता तक लेखे में लिया गया। यद्यपि प्रबंध वर्ग उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 81 में दिए गए विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किए जा रहे टर्न अराउंड उपायों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर आश्वस्त है, तथापि प्रबंध वर्ग द्वारा अपेक्षित उसके प्रभाव को निर्णायक रूप से माना नहीं जा सकता और इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस निर्णय पर पहुंचें कि क्या एस-22 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित वास्तविक निश्चितता है। अतः हम आवधिक रूप से पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्राय्यता के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। वर्ष के लिए हानि पर उपर्युक्त के समूचे प्रभाव, को निश्चित नहीं किया जा सकता।
3. जैसा कि टिप्पणी सं. 28 में उल्लिखित है कि इस रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय विवरण इस वर्ष कार्यान्वित किए गए सैप-ईआरपी डाटा बेस के आधार पर तैयार किए गए हैं। दस्तावेज स्तर पर अंतरण लेखा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होनी अभी शेष है तथा अंतरण लेखा परीक्षा में पाई गई कुछ टिप्पणियों का अनुपालन शेष है। सैप डाटा बेस में दिए गए शेष लंबित लेखा परीक्षा के पूरा होने तथा टिप्पणियों के सुधार पर निर्भर हैं। अतः इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।
4. सहायक कंपनी में विभिन्न शेषों में/कुछ स्थानों में अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं/आय/व्यय लेखों में डेबिट/क्रेडिट के मिलान सहित पुष्टि तथा मिलान एवं मध्यस्थ/ट्रांज़िटरी लेखों के लंबित मिलान के संबंध में जैसा कि टिप्पणी सं. 29, 55 से 57, 63 से 71 तथा 73 में उल्लिखित है। विभिन्न इनवेंटरी संबंधी विक्रेताओं के लेखों तथा अन्य लेखों का नई प्रणाली डाटाबेस के साथ मिलान भी लंबित है तथा जो स्टॉक रिकार्ड नई प्रणाली में नहीं हैं, उनका पुराने/सैप डाटा के साथ संकलन एवं मिलान किया जा रहा है। इनवेंटरी मदों का वर्षान्त शेष तथा वर्ष के दौरान खपत को नई प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्टों के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है जिनका लेखों के साथ मिलान होना है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता है।
5. जैसाकि टिप्पणी सं. 41 में उल्लिखित है कंपनी को लेखा मानक-28 की अपेक्षाओं के अनुरूप क्षति मूल्यांकन करना शेष है तथा विमान बेड़े के क्षति मूल्यांकन लंबित होने से 28,179.50 मिलियन रुपए की राशि के विनिमय अंतर को पूंजीबद्ध किया गया है। जैसाकि टिप्पणी सं. 45 में उल्लिखित है, कुछ विमान तुलन-पत्र तिथि के पश्चात् बेच दिए गए लेकिन क्षति हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया। क्षति हानि के कारण समग्र प्रभाव अनिर्धारित रहा अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।
6. जैसाकि टिप्पणी सं. 55 (जी) में उल्लिखित है पिछले वर्षों में स्टार एलाइंस में सम्मिलित होने के शुल्क के लिए 639.4 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था जिसे 'आगे प्रावधान अपेक्षित नहीं' में क्रेडिट कर पुनरांकित किया गया जबकि पुनः एकीकरण की प्रक्रिया केवल शुरू ही हुई थी तथा सदस्य बनने का अधिकार अथवा पात्रता अभी संस्थापित की जानी है। इसलिए "ऋण तथा अग्रिम" के तहत आ रहे शेष के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।
7. जैसाकि टिप्पणी सं. 47 में उल्लिखित है कि विमानों की डिलीवरी के समय प्राप्त 1,155.2 मिलियन रुपए की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट हकदारी को स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखा मानक-10 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित करने के स्थान पर आकस्मिक राजस्व में दर्शाया गया है। अतः इतनी हानि भी कम दर्शायी गई है।



वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास पर निश्चित प्रभाव की गणना नहीं की गई है, इसलिए यह निर्धारित नहीं है। टिप्पणी सं. 1 (सी) (5) में उल्लिखित लेखा नीति लेखा मानक 10 के अनुरूप नहीं है।

8. निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया :

क) वर्ष के दौरान जारी एनसीडी पर 350.7 मिलियन रुपए की राशि का गारंटी शुल्क (टिप्पणी सं. 31 देखें);

ख) बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में 4 एकड़ भूमि में से संपत्ति के संबंध में अंतर मूल्य 5390.6 मिलियन रुपए आंका गया तथा पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित होते हुए इसे लेखा बहियों में अग्रेषित किया गया, जबकि 3.54 एकड़ भूमि के लिए संशोधित आबंटन पत्र कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है लेकिन लेखांकन उपाय लंबित है। अतः इस चरण पर इस संबंध में निश्चित राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। (टिप्पणी सं. 33 (ए) देखें)।

ग) आवासीय कालोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली के नियमन के लिए 56.6 मिलियन रुपए के अनुमानित व्यय को कंपनी के बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है जबकि अनार्जित वृद्धि, यदि कोई देय है, के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता। (टिप्पणी सं. 33 (बी) देखें)।

घ) 24.6 मिलियन रुपए की नेरूल भूमि की खरीद के लिए अग्रिम बकाया जिसमें लीज डीड निष्पादित करना, कब्जा देना लंबित है तथा प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है। (टिप्पणी सं. 35 देखें)

ड.) सेवा कर के विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना तथा ब्याज (राशि अनिर्धारित) देय, चूंकि लेखों का मिलान किया जा रहा है (टिप्पणी सं. 57 (ई) देखें)।

च) बीमांकिक रिपोर्ट के संदर्भ में सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों का अल्प प्रावधान (टिप्पणी (80-डी) देखें)।

9. संशोधित अनुसूची VI के तहत प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 84 में उल्लिखित है, नागर विमानन मंत्रालय से ऐसे अप्रकटन के लिए छूट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुसूची VI की अपेक्षाओं का हर संभव अनुपालन किया गया है तथा चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण प्रबंध वर्ग द्वारा किया गया है। अतः लंबित अनुपालनों के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

10. हम लेखों का भाग निर्मित कर रही निम्नलिखित टिप्पणियों में प्रकटन के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके लिए लेखों पर निश्चित वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा:

क) टिप्पणी सं. 33 कुछ संपत्तियों के संबंध में प्राप्त की जा रही लंबित पंजीकरण औपचारिकताओं तथा टाइटल डीड्स के संबंध में है, टिप्पणी सं. 37 सैप में अंतरित नहीं किए गए विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के आंकड़ों तथा श्रेणीबद्ध की जाने वाली कुछ स्थिर परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा मिलान के लिए लंबित आंकड़ों के संबंध में है, टिप्पणी सं. 40 (बी) तथा (सी) कुछ परिसंपत्तियों के शेष जीवन के पुनःकार्य तथा मूल्यहास के संबंध में है, इनका वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा।

ख) टिप्पणी सं. 34 अतिरिक्त भूमि का विकास न किए जाने के संबंध में सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम को पूंजीकृत किए जाने के संबंध में है।

ग) टिप्पणी सं. 36, 53 तथा 56 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में हाथ में नकदी के वास्तविक सत्यापन तथा स्थिर परिसंपत्तियों एवं इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के संबंध में अपेक्षित सुधार तथा हाथ में नकदी तथा बैंक लेखों के मिलान के संबंध में है।

घ) जैसाकि टिप्पणी सं. 43 में उल्लिखित है सक्रिय उपयोग से हटाई जा चुकी तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की भी पहचान की जा रही है। लेखा मानक 10 का अनुपालन लंबित है।

ड.) टिप्पणी सं. 44 "सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट हकदारियों" के लिए असाधारण मदों के रूप में प्रकट की गई 7416.8 मिलियन रुपए की राशि तथा "ऋण एवं अग्रिम" के तहत अग्रेषित 7369.09 मिलियन रुपए की राशि इसकी बढ़ाई गई वैधता के दौरान उपयोग के लिए समायोजित किए जाने के संबंध में है। इस राशि की वसूली पर्चियों की वैधता की अवधि बढ़ाने पर निर्भर करती है। वर्षान्त तक उपयोग की गई राशि तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त पुष्टि के अनुसार 24.1 मिलियन रुपए को लेखाबद्ध की जाने वाली शेष राशि के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष के लिए इस सीमा तक हानि कम दर्शायी गई है।



- च) टिप्पणी सं० 48 (i)(सी) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के समान अल्पकालिक ऋणों पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है, टिप्पणी सं० 48 (ii) कुछ अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस) के संबंध में है जो वर्ष के अंत में एफ ई डी ए आई दरों पर नहीं दी गई है। टिप्पणी सं० 49 अलग से नहीं दर्शाई गई, कुछ लेन-देन के निपटान अथवा रिपोर्टिंग पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है तथा पैरा 48 (i)(बी) विनिमय अंतरों के उपचार के संबंध में है जो 31 मार्च, 2011 तक की अवधियों के संबंध में ब्याज लागत के लिए समायोजन माने गए तथा ये ऋण लागत संबंधी लेखा मानक-16/ विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव संबंधी लेखा मानक-11 के अनुसार नहीं है।
- छ) टिप्पणी सं० 50 वायुदूत लि० के लंबित विलय से उत्पन्न वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, के संबंध में है।
- ज) टिप्पणी सं० 51 व 52 कुछ स्थानों/स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने तथा रिकार्डों के उचित मेंटेनेंस से संबंधित है।
- झ) टिप्पणी सं. 54 कुछ मदों को नकद आधार पर लेखांकित किए जाने के संबंध में है।
- ञ) टिप्पणी सं. 57 (i) बिलों के न होने पर कुछ व्ययों के लिए किए गए तदर्थ प्रावधान के संबंध में है।
- ट) टिप्पणी सं. 59 छलपूर्ण लेन-देन से उत्पन्न लंबित लेखांकन समायोजनों के संबंध में है।
- ठ) टिप्पणी सं. 61 (डी) एअर इंडिया चार्टर लि. से राजस्व शेयर अनंतिम आंकड़ों पर लेखाबद्ध किए जाने के संबंध में है।
- ड) टिप्पणी सं. 63 विमान इनवेंटरी के लंबित मिलान तथा अचल इनवेंटरी को निश्चित करने के संबंध में है, जिसके संबंध में, टिप्पणी सं० 65 विमानों के परिष्कार के लिए बने उन कलपुर्जों के संबंध में है (राशि निर्धारित नहीं) जिन्हें इनवेंटरी में दर्शाया जा रहा है जो एएस-10 के साथ पठित एएस-2 के अनुसार नहीं है।
- ण) टिप्पणी सं० 76 एवं 77 – सहायक कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि का संज्ञान न होने के संबंध में है तथा परिणामस्वरूप “निवेश के लिए लेखांकन” संबंधी एएस-13 का अनुपालन किए जाने के लिए इसमें निवेश के मूल्य में हुई कमी का प्रावधान नहीं किया गया है तथा इन सहायक कंपनियों के बकाया अग्रिमों के संबंध में प्रावधान न किए जाने के संबंध में है जबकि इन कंपनियों की नेटवर्थ पूर्णतया समाप्त हो गई और ये कंपनियां निरंतर हानि उठा रही हैं। इन देयों की वसूली इन कंपनियों के टर्नअराउंड पर निर्भर करती है तथा इनका निश्चित प्रभाव अनिर्धारित बना रहा।
- त) टिप्पणी सं. 79 (ए) व (ई) वेतन बकाया के तदर्थ प्रावधान तथा कर्मचारी के देयों के लंबित लेखांकन के संबंध में है।
11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि परिणाम निर्धारित करने योग्य विस्तार के प्रभाव पर विचार करते हुए, उपर्युक्त पैरा 1 से 10 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर पूर्वावधि समायोजनों को छोड़कर वर्ष के लिए 13,027.2 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए कर पश्चात् हानि पर संचयी प्रभाव के साथ पूर्वावधि समायोजन 28,425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए तथा उक्त को तुलन पत्र में अग्रेषित करते समय 41,452.4 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए जिससे 41,452.4 मिलियन रुपए की संचित हानि कम दर्शायी गई, इनवेंटरी 10,294.6 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए हानि पर परिणामात्मक प्रभाव निश्चितता से निर्धारित नहीं किया गया, वर्तमान देयताएं 889.3 मिलियन रुपए कम दर्शायी गई, स्थिर परिसंपत्तियां 1,155.2 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई, वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम 688.2 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति शून्य रुपए रही होगी। टिप्पणी सं. 82 में गणना की गई प्रति शेयर आय यहां दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है।

DokylQkbM er

हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 'क्वालीफाइड मत के लिए आधार' वाले पैराग्राफ में वर्णित तथ्य के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

- क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति।
ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि।
ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।



केसों का विवरण

- i) जैसाकि टिप्पणी सं. 79 (सी) में उल्लिखित है कंपनी ने धर्माधिकारी रिपोर्ट, जो न्यायाधीन है, का कार्यान्वयन लंबित होने के कारण जुलाई, 2012 से विभिन्न वर्गों को देय भत्तों की 75% राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया है। 2361.4 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान न किए गए भत्ते आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।
- ii) जैसाकि टिप्पणी सं. 60 में उल्लिखित है वर्ष के दौरान हमने कंपनी के कुछ चुने हुए विदेशी तथा घरेलू स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य इन स्टेशनों/शाखाओं में मंटेन किए गए मूल रिकार्डों की समीक्षा तथा उसके लिए आंतरिक नियंत्रण की जांच करना था। ये दौरे प्रबंधवर्ग द्वारा अंतिम रूप दिए गए शेड्यूल के अनुसार किए गए थे। लेखा परीक्षित नहीं किए गए अन्य स्टेशनों के लेखे संबंधित स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी के समेकित लेखों में सम्मिलित किए गए।
- iii) जैसाकि टिप्पणी सं. 73, 76, 77 तथा अन्य मामलों में उल्लिखित है कि जहां कहीं भी कंपनी ने सहायक कंपनियों/सामूहिक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन किया है तो इन लेन-देनों में समानता का संबंध निर्धारित नहीं किया गया।
- iv) लेखों का भाग निर्मित कर रही टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
 - क) टिप्पणी सं. 88 कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उक्त आधार की उपयुक्तता अन्य के साथ-साथ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार से इक्विटी प्राप्त करने की कंपनी की योग्यता, बेहतर प्रचालनात्मक/वित्तीय निष्पादन तथा सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउंड योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।
 - ख) टिप्पणी सं. 57(डी) तेल कंपनियों को 3,038.3 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान किए गए। देय विलंबित भुगतान प्रभारों तथा टीडीएस/सेवाकर के विलंबित भुगतान पर 659.3 मिलियन रुपए के ब्याज को "वित्तीय लागत" में दर्शाए जाने के संबंध में है जबकि उक्त मदों को पिछले वर्षों में "अन्य व्ययों" के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। अतः पिछले वर्षों संबंधी प्रकटनों को तदनुसार पुनः समूहबद्ध किया गया।
 - ग) टिप्पणी सं. 83 एमएसएमई को देय राशि तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के संबंध में है जिसका निर्धारण किया जाना शेष है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।

संकेतित विवरण; उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 4 तथा 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) क्वालीफाइड मत के आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों को छोड़कर हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
 - ii) हमारी राय में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं किए गए बिजनेस क्षेत्रों/स्टेशनों/स्थानों सहित से प्राप्त सूचना/विवरणी सम्मिलित करते हुए कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में मंटेन की गई इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए स्टेशनों/स्थानों से प्राप्त विवरणी के अनुरूप है।
 - iv) "क्वालीफाइड मत के लिए" आधार पैराग्राफ में उल्लिखित प्रभाव मामले को छोड़कर हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणी में अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3 सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।



- v) अधिनियम की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।
- vi)½ चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 441 (ए) के तहत ऐसी कोई अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किस दर से एवं किस रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी पर कोई भी शुल्क लंबित एवं देय नहीं है।

कृते एवं की ओर से
vkj- nothz dckj , oa, l kl , Vt
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 114207डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
diy VMu , M dāuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000952सी

कृते एवं की ओर से
i hdsdst h ckykl qzef. k e , M , l kl , Vt
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001547एस

हस्ता./-
Mhds xqrk
पार्टनर
सदस्यता सं. 09032

हस्ता./-
jkt sk ikl jkedk
पार्टनर
सदस्यता सं. 074192

हस्ता./-
l h jesk
पार्टनर
सदस्यता सं. 025985

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 फरवरी 2014



Lora= ys[k ijh[kd dh fjiWZds vugXud

l el d; d frffk dh gekjh ys[k ijh[kk fjiWZdh vU; oSkfud rFk fofu; ked viSkvkwaj fjiWZdsrgr iSk
¼½eamfYyf[kr

1. (क) मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण से संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए रोटेबल्स सहित, स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित रिकार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।
(ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है। यह देखा गया कि वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया गया। सूचित किया गया कि प्रत्यक्ष सत्यापन की यह प्रक्रिया सुसंगत की जा रही है, इस कारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सका। 2010-12 की दो वर्षों की अवधि के दौरान पाई गई विसंगतियां भी कुछ स्थितियों में लेखांकन कार्रवाई के तहत हैं। लेखांकन नीति का अनुपालन न होने तथा वित्तीय रिकार्ड के साथ उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों का पूर्ण मिलान न होने के कारण हम किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन तथा किसी सीमा तक किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन से मिली किसी सामग्री संबंधी विसंगति को निर्धारित करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं.36 देखें)
(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।
2. (क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है। तथापि इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया गया है तथा इनवेंटरी के केवल एक हिस्से का ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है।
(ख) प्रबंध वर्ग द्वारा निरंतर आधार पर इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली कंपनी द्वारा घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप होनी आवश्यक है। वर्ष के दौरान किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन बहुत ही कम है और इन्हें और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन को कवरेज तथा फ्रीक्वेन्सी की दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इनवेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं।
(ग) इनवेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी अंतरित किए गए मूल्य तथा मदों की मात्रा के स्रोत के संदर्भ में नई प्रणाली में विमान संबंधी इनवेंटरी के रिकार्डों को अद्यतन तथा उनमें सुधार करती है तथा गैर-विमान भंडार का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ करना होता है। स्टोर्स में रखी गई इनवेंटरी तथा उसके उपयोग से संबंधित केन्द्रीकृत रिकार्डों का वित्तीय रिकार्डों के साथ पूरी तरह से मिलान किया जाना आवश्यक है। (टिप्पणी सं. 62 व 63 देखें)
बही रिकार्डों की तुलना में इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों का संबंधित विभाग द्वारा की जा रही संवीक्षा के आधार पर मिलान और समायोजन किया जा रहा है और उसके उपरांत लेखा खातों में उसे उचित रूप में दिखाया जाएगा।
3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। इसके अंतर्गत सहायक कंपनियों को दिया गया ब्याज रहित अग्रिम सम्मिलित नहीं है जो चालू लेखों की प्रकृति का है तथा जहां पुनः भुगतान की शर्तें भी उल्लिखित नहीं की गई हैं।



- (ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हित में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें सहायक कंपनियां सम्मिलित नहीं है जिसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।
- (ग) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिया है।
- (घ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन तथा इनवेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है। कंपनी, इनवेंटरी, फुटकर देनदार/ लेनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेज़रों का सामान्य लेज़र से मिलान कर रही है (टिप्पणी सं. 29 देखें)। प्रबंध वर्ग को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को दूर करने में मिल रही निरंतर असफलता पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
5. (क) हमारे द्वारा प्रयोग की गई लेखा परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।
- (ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाज़ार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।
6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई हैं। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑनलाइन स्टेशनों व क्षेत्रीय मुख्यालयों, पंजीकृत कार्यालय तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बहियों में दर्शाए गए अंत शेष की आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जानी अपेक्षित है।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराया है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:
- विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।



- कॉन्ट्रैक्टरों/सब कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के कुल 34.5 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को उनकी पंजीकरण संख्या न होने के कारण अलग बैंक खाते में रखा गया है।
- कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। इसमें तेल कंपनियों को विलंब से किए गए भुगतान पर टीडीएस यदि नहीं काटा गया है तो वह सम्मिलित नहीं होता है। (टिप्पणी सं.57 (डी) देखें) तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।
- कंपनी वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का समायोजन कर रही है।
- इनपुट क्रेडिट सहित सेवा कर प्राप्त किया जाता है तथा टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईएस, प्रोफेशन टैक्स तथा एयरपोर्ट टैक्स के खातों का मिलान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में सांविधिक देयों के भुगतान में कुछ विलंब हुआ है।
- दिनांक 31.03.2013 तक कंपनी द्वारा 691.7 मिलियन रुपए का अविवादित सेवा कर तथा 229.9 मिलियन रुपए का आयकर देय है जो छह माह से अधिक समय से बकाया है।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2013 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों (टिप्पणी सं. 57 व 58 देखें)।

- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :

वर्ष/वर्ग	रुपए	विवरण
आयकर अधिनियम, 1961	424.3	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।
सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4313.0	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर
नगर निगम कर/गृह कर/चुंगी	23.1	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर/चुंगी

10. संचित हानि कंपनी के निवल लाभ से अधिक हो गई है तथा वर्तमान तथा विगत एवं चालू वित्तीय वर्षों में नकद हानि हुई है, तथापि, कंपनी के लेखे गोईंग कन्सर्न आधार पर इस अनुमान से तैयार किए गए हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है और भविष्य में इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 88)।
11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों के भुगतान में चूक नहीं हुई है। तथापि, तुलन पत्र में दर्शाई गई तिथि को 178.1 मिलियन रुपए का पुराना ऋण तथा ऋणों पर 298.4 मिलियन रुपए के ब्याज का भुगतान बकाया है। यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान मूल तथा ब्याज के भुगतान में देरी हुई है।
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं।
13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम लागू नहीं होते हैं।



14. कंपनी शेयरोँ, प्रतिभूतियों, डिबेंचरोँ तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है। इस गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण समीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है कि अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरोँ का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है।
19. वर्ष के दौरान 74,000 मिलियन रुपए की राशि के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए गए जिसे भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है।
20. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की।
21. वर्ष के दौरान कंपनी के बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच भारत में सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखा परीक्षा पद्धतियों का अनुपालन करते हुए की गई और इस दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया या कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित किया गया।

कृते एवं की ओर से
vkj- nsthz dckj , oa, l kl , Vt
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 114207 डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
di jv VMu , M dā uh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000952सी

कृते एवं की ओर से
i hdsdst h ckykl qef. k e , M , l kl , Vt
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001547एस

हस्ता./—
Mhds xprk
पार्टनर
सदस्यता सं. 09032

हस्ता./—
jkt sk ikl jledk
पार्टनर
सदस्यता सं. 074192

हस्ता./—
l h jes k
पार्टनर
सदस्यता सं. 025985

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 फरवरी 2014



foUkr o"IZ2012&13 dsfy, l kofekd ys k ijhkd dh ys k ijhkd fjiWZij izaku dsmUkj

Ø-1 a ys k ijhkd fVlif. k la	izaku dsmUkj
<p>हमने एअर इंडिया लि. (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक की अवधि का तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण व नकदी प्रवाह विवरण तथा सार्थक लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।</p> <p>foUkr fooj.k dsfy, izak oxZdh ft Eenkjh</p> <p>कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उपधारा (3-सी) में उल्लिखित लेखा मानकों (एएस) के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उनकी उचित प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उनका रिकार्ड रखना सम्मिलित है। ये वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती से मुक्त होते हैं।</p> <p>ys k ijhkd dh ft Eenkjh</p> <p>लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो, अतः हम इस आश्वासन को उचित रूप से पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा डिज़ाइन की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।</p> <p>हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø-1 a ys lk ij hlk fVli f. k la	izaku ds mUkj
<p>1. DokylQkbM er ds vlekj</p> <p>हम रैमको (नई प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए नए एकीकृत इनवेंटरी सॉफ्टवेयर में इनवेंटरी शेषों को अंतरित करने के संबंध में टिप्पणी संख्या 1 (ग) (4), टिप्पणी संख्या 62 तथा 66 के साथ पढ़ने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं।</p> <p>क) कंपनी ने वर्ष के दौरान, मरम्मत योग्य मदों के संबंध में टिप्पणी सं. 62 के साथ पठित टिप्पणी सं. 1 (ग) (4)(ii) में उल्लिखित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है तथा अब इन्हें केवल स्क्रेप के समय व्यय में दर्शाया जाएगा। अतः मरम्मतयोग्य मदों को जारी करते समय खपत के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में खपत के रूप में प्रभारित 14,667.2 मिलियन रुपए राशि की इनवेंटरी को पुनरांकित किया गया तथा 8,692.8 मिलियन रुपए (प्रावधानों के निवल) की राशि को अपवादात्मक मद के रूप में लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट किया गया है। जैसाकि उक्त टिप्पणी में उल्लिखित है कि इन इनवेंटरी के संबंध में लागू भारत औसत उपलब्ध नहीं थी तथापि इन्हें 5,273.7 मिलियन रुपए के नवीनतम उपलब्ध भारत औसत पर आंका गया है तथा जहां उपलब्ध है वहां इन्हें 9393.5 मिलियन रुपए के कैटलॉग मूल्य पर आंका गया है। पुनरांकित की गई इन इनवेंटरी में मरम्मत न होने योग्य मदें (उपयोग न होने की स्थिति वाली तथा मरम्मत होने वाली मदें), निःशुल्क प्राप्त मदें, कैनीबलाइज्ड मदें तथा विमान के साथ प्राप्त मदें सम्मिलित हैं जिन्हें नवीनतम भारत औसत लागत/कैटलॉग मूल्य पर भी आंका गया है।</p> <p>पहले ही चार्ज ऑफ किया गया इनवेंटरी का पुनरांकन स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक-10 के साथ पठित इनवेंटरी संबंधी लेखांकन मानक-2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार इनवेंटरी के उपयोग के समय इन्हें चार्ज ऑफ किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सूचना के अनुसार इन मदों का कोई निश्चित जीवनकाल नहीं होता है। नवीनतम भारत औसत अथवा कैटलॉग मूल्य पर इन मदों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखांकन नीति के अनुरूप भी नहीं है। साथ ही यह इनवेंटरी संबंधी लेखांकन मानक-2 के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है जिसके अनुसार, इनवेंटरी को लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, पर आंका जाता है। वर्ष के अंत में 11,825.7 मिलियन रुपए की राशि की पहचान की गई अनसर्विसेबल मदें, निःशुल्क प्राप्त मदें, कैनीबलाइज्ड तथा विमान के साथ प्राप्त मदों को शून्य रुपए पर आंका जाना अपेक्षित होता है जबकि 11363.5 मिलियन रुपए की राशि के सर्विसयोग्य मदों, नवीनतम भारत औसत अथवा कैटलॉग मूल्य (निश्चित राशि निर्धारित नहीं) पर</p>	<p>वर्ष 2012 में कंपनी इनवेंटरी नियंत्रण के रैमको सिस्टम पर हस्तान्तरित हो गई जो एयरबस तथा बोइंग विमान बेड़े के लिए विमान इनवेंटरी स्पेयर्स के लिए इनवेंटरी प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है।</p> <p>हस्तान्तरण के समय, इनवेंटरी मूल्य को मूल्यांकित औसत मूल्य में अंतरित किया गया जो वाइड बॉडी और नैरो बॉडी के पूर्व सिस्टम में उपलब्ध थे तथा उन इनवेंटरी के संबंध में, जहां कोई खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं था, वहां हस्तान्तरण के समय वर्ष 2004 से 2012 तक कैटलॉग मूल्य को ध्यान में रखा गया। इनवेंटरी में विस्तार योग्य और मरम्मत योग्य कलपुर्जे सम्मिलित हैं। रिपेयरेबल वह कलपुर्जे हैं जिन्हें सामान्य प्रचालन स्थिति में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर अनुमोदित रिपेयर या रिकवरी प्रक्रिया के द्वारा निरंतर रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। उक्त कलपुर्जों का तब तक आर्थिक मूल्य है, चाहे वह सर्विस योग्य स्थिति में हो या सर्विस योग्य स्थिति में न हो जब तक कि उन्हें अप्रचालन या सर्विस महंगी होने के कारण प्रचालन से स्क्रेप न कर दिया जाए। अन्य एयरलाइनों द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धतियों के अनुसार, मरम्मत योग्य श्रेणी के स्पेयर्स को लेखों में इनवेंटरी के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी की लेखा नीति इन श्रेणी की इनवेंटरी को समय-समय पर लाभ एवं हानि खाते में डाले जाने के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। लेखा परीक्षकों द्वारा बनाए गए लेखा नीति में परिवर्तन मरम्मत योग्य कलपुर्जों के संबंध में हैं जो केवल स्क्रेपेज के समय ही उपभुक्त माने जाएंगे और तब तक केवल उनकी मरम्मत की लागत को ही लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया जाएगा। रिपेयरेबल्स का जीवन कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्रचालन चक्र से अधिक होता है और इन्हें तब तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है जब तक कि उनकी मरम्मत किफायती हो। दोनों पूर्व एयरलाइनों एआई तथा आईए की अलग-अलग लेखा पद्धतियां थीं जिन्हें नए रैमको (आरएएमसीओ) सिस्टम में समन्वित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इनवेंटरी के मूल्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि जिन रिपेयरेबल्स की संख्या को पूर्व सिस्टम के तहत उपभुक्त मान लिया जाता था, उन्हें अब इनवेंटरी के रूप में लेखों में डाल दिया गया है। इनमें से कई मदें हस्तान्तरण के समय प्राकृतिक तौर पर सर्विस योग्य नहीं थी (परंतु जिनकी आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्तरों पर मरम्मत संभव थी) तथा जिन्हें उन मूल्यों पर हस्तान्तरित किया गया जो या तो मूल्यांकित औसत आधार पर पूर्व सिस्टम में उपलब्ध थीं अथवा रैमको सिस्टम के कैटलॉग मूल्य (2004-2012) पर आधारित थीं। हो सकता है यह मदें अस्थायी रूप से सर्विस योग्य नहीं हों किन्तु उन्हें मरम्मत करके और पुनः प्रमाणित कराकर दुबारा पूर्णरूप से उपयोग में लाया जा सकता है।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f l i f. k l a	i z a k u d s m l k j
<p>आंकी गई इन मदों को लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम है पर आंका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई प्रणाली में अंतरित की गई सामग्री की मात्रा के स्रोत के संबंध में दस्तावेज़ अपर्याप्त हैं। इनवेंटरी के क्लोज़िंग मूल्य पर इनके निश्चित प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है। जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने लेखों में 5,974.4 मिलियन रुपए के किए गए कुल प्रावधान में से अनसर्विसेबल मदों के लिए 3,255.40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया है। उपयुक्तता अथवा अन्यथा मूल्य सुधार के लिए लेखों में किए गए प्रावधानों के लिए हम अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 8570.3 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शाई गई है जबकि इसके समग्र प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सका है।</p> <p>ख) आगे के संदर्भ में, जहां 725.01 मिलियन रुपए की अचल इनवेंटरी की पहचान की गई है लेकिन इसका प्रावधान किया जाना शेष है। उल्लिखित लेखांकन नीति का अनुपालन लंबित है। अतः वर्ष के लिए इस सीमा तक हानि कम दर्शाई गई है।</p> <p>ग) जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि नई प्रणाली में इनवेंटरी मदों का अंतिम मूवमेंट उपलब्ध नहीं है तथा मात्रा संबंधी सहायक विवरण एवं नई प्रणाली में अंतरित किए गए विवरण को दस्तावेज़ों से प्रमाणित नहीं किया गया है। यदि इनवेंटरी पुनरांकित की गई है तो नई प्रणाली में अंतरण की तिथि के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई है जो लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय तक मूव न की गई मदों की पहचान अचल के रूप में की जाए तथा उनके लिए प्रावधान किया जाए। अतः इनवेंटरी के अग्रेषित मूल्य पर उपर्युक्त का निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं है।</p> <p>घ) इसके अतिरिक्त यदि विभिन्न ओपन कार्य आदेशों के लिए एक्सपेनडेबल्स जारी किए गए तो प्रावधान में 481.98 मिलियन रुपए की कमी के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।</p>	<p>जो मदें किरायायती मरम्मत से परे हैं, उन्हें स्कैपेज के तौर पर खाते में डाल दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप आवश्यक मूल्यांकन अंतर, अप्रचलन तथा मरम्मत लागत अंश (जहां लागू हो) के बाद लाभ एवं हानि खाते में 8692.86 मिलियन रुपए का क्रेडिट दर्शाया गया। यद्यपि रिपेयरेबल्स इनवेंटरी की लेखा मानक (एएस)-2 की परिभाषा का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं करती तथापि विमान उद्योग में इन्हें इनवेंटरी (जैसा कि सामान्य प्रक्रिया है) के रूप में वर्गीकृत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। कुछ अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने रिपेयरेबल्स एवं रोटेबल्स को स्थिर परिसम्पत्ति के भाग के रूप में दर्शाया है जिसका उनके उपयोगी मूल्य की अवधि में मौद्रीकरण किया जाता है।</p> <p>जहां तक इनवेंटरी में मदों की परिवर्तनशीलता का संबंध है चूंकि रैमको सिस्टम ने हस्तान्तरण के समय इनवेंटरियों की आयु प्राप्त नहीं की थी अतः प्रबंधन ने इनवेंटरी की आयु के आधार पर प्रावधान बनाने के लिए अनंतिम अनुमान तैयार किए जो वर्ष में किए जाने वाले समायोजनों पर आधारित हैं जिसमें अपरिवर्तनशील इनवेंटरी की वास्तविक मात्रा निर्धारित है।</p> <p>ओपन वर्क आर्डर (खुले कार्य आदेशों) के संबंध में प्रबंधन ने पहले ही, दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में इन आदेशों के पुनः निर्धारण के लिए तथा कोई भी ऐसा कार्य आदेश जो या तो समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने की स्थिति में है, के संबंध में इंजीनियरिंग को निदेश जारी कर दिए हैं।</p> <p>प्रबंधन ने रैमको सिस्टम के तहत इनवेंटरी नियंत्रण के समूचे सिस्टम को सरल बनाने के उद्देश्य से मैसर्स केपीएमजी को इनवेंटरी की ऑडिट का कार्य भी सौंपा है।</p> <p>रैमको सिस्टम कुछ स्तरों पर इनवेंटरी की विभिन्न मदों की ऑनलाइन तथा रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराती है ताकि सभी स्थानों पर इनवेंटरी की पहुंच विभिन्न वेयरहाउसिस से हो जाए। इनवेंटरी लागत को अनुकूलतम बनाने और साथ ही सभी स्थानों पर इनवेंटरी की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। प्रबंधन के विचार से वर्ष 2013-14 के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा नोटिस की गई बहुत सी विसंगतियों को बाह्य फर्मों और इनवेंटरी नियंत्रण की प्रक्रिया में सुधार लाने तथा उसे युक्तिसंगत/सरल बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार की गई आंतरिक (इनहाउस) टीम की सहायता/सहयोग से सुधार किया जाएगा।</p> <p>इनवेंटरी के वर्ष समाप्ति के अंतशेष का इनवेंटरी सारांश विवरणी के साथ व्यापक आधार पर समायोजन किया गया और उसका विस्तृत रूप से मिलान किया गया।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l g
<p>ड) जैसाकि टिप्पणी सं. 39 में उल्लिखित है कि नई प्रणाली में इनवेंटरी शेषों के अंतरण के अनुसरण में रोटेबल्स के रूप में वर्गीकृत मदों को अनुमानित मूल्यों के आधार पर पूरी तरह लेखाबद्ध नहीं किया गया है तथा कुछ मामलों में इन्हें इनवेंटरी तथा रोटेबल्स दोनों में लिया गया है। हम, उपयुक्तता अथवा अन्यथा इनवेंटरी में सम्मिलित किए गए रोटेबल्स के मूल्य के लिए 415.3 मिलियन रुपए (उपर्युक्त उल्लेखानुसार कुल तदर्थ प्रावधान में सम्मिलित) के तदर्थ प्रावधान तथा उनके 830.60 मिलियन रुपए तक होने संबंधी अभिज्ञान जिसके लिए पूरी तरह प्रावधान किया जाना चाहिए था, के संबंध में अपनी राय निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में चालू परिसंपत्तियों, स्थिर परिसंपत्तियों तथा मूल्यहास पर निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनर्वर्गीकृत अथवा नई प्रणाली में मरम्मतयोग्य के रूप में रखी गई मदों के लिए अपनाए गए मूल्यांकन का आधार भी उपयुक्त रूप से दस्तावेजों की सहायता से प्रमाणित नहीं किए गए हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।</p> <p>च) जैसाकि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है, नई प्रणाली में शेष को अंतरित करने की प्रक्रिया में उपयुक्त दस्तावेज तथा आंतरिक नियंत्रण नहीं है तथा अंतरण संबंधी लेखा परीक्षण (माइग्रेशन ऑडिट) नहीं किया गया है। थर्ड पार्टी के साथ इनवेंटरी के संबंध में शेषों की पुष्टि भी लंबित है। उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला सटीक प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।</p> <p>छ) जैसाकि नोट नं.66 में उल्लेख किया गया है, लेखांकन नीति में आगे के परिवर्तन के अनुसरण में कंपनी ने ए-310 विमान संबंधी इनवेंटरी के लिए 'प्रावधान अपेक्षित नहीं' मद के तहत 583.9 मिलियन रुपए की राशि पुनरांकित की है। ए-310 विमान गत वर्षों में चरणबद्ध रूप से हटा दिए गए हैं तथा जिनके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और जिन्हें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अनुरक्षण कार्यों के लिए उपयोग किया जाना है। लेखांकन नीति में परिवर्तन "लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों" संबंधी लेखांकन मानक-5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसलिए पुनरांकित की गई राशि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।</p> <p>इसलिए हमारी राय में, वर्ष के अंत में इनवेंटरी में उल्लिखित शेषों के लिए 10,294.5 मिलियन रुपए की राशि अधिक दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में 10,294.5 मिलियन रुपए की हानि दर्शायी गई है। मात्राओं/मूल्यों में मूल्यांकन/अंतरों के निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं हैं तथा इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन भी लेखांकन मानक-5 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।</p>	<p>इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च, 2013 को कुल इनवेंटरी 29,297.6 मिलियन रुपए थी और अप्रचलन/मरम्मत/मूल्यांकन अंतर का प्रावधान 12,601.7 मिलियन रुपए था जो कुल इनवेंटरी का 43% है।</p> <p>अतः प्रबंधन का विचार है कि लेखों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और यदि कोई अधिकता/कमी है तो उसे समायोजन वर्ष में ठीक कर दिया जाएगा।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l k j
<p>2. जैसाकि टिप्पणी संख्या 81 में उल्लिखित है कि कंपनी के पास 28425.2 मिलियन रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति का निवल शेष है जिसे वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 के लेखों में लिया गया था। बाद के वर्षों में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में केवल आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही लेखों में लिया गया। चूंकि कंपनी ने लेखा मानक-22 के अंतर्गत अनुबद्ध वास्तविक निश्चितता, आय पर कर, वर्ष 2009-2010 में निश्चित नहीं की थी, अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को वर्ष 2009-2010 के लाभ एवं हानि खाते में डाला जाना चाहिए। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्वावधि समायोजन के शेष को 28425.2 मिलियन रुपए से कम दर्शाया गया तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत आस्थगित कर परिसंपत्ति के शेष को उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया। इसके परिणामी प्रभाव के कारण तुलन-पत्र में अग्रणीत "वर्ष की कर पश्चात् हानि" को 28425.2 मिलियन रुपए तक कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति को 5,904.3 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देयता तक लेखे में लिया गया। यद्यपि प्रबंध वर्ग उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 81 में दिए गए विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किए जा रहे टर्न अराउंड उपायों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर आश्वस्त है, तथापि प्रबंध वर्ग द्वारा अपेक्षित उसके प्रभाव को निर्णायक रूप से माना नहीं जा सकता और इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस निर्णय पर पहुंचें कि क्या एएस-22 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित वास्तविक निश्चितता है। अतः हम आवधिक रूप से पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्राप्यता के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। वर्ष के लिए हानि पर उपर्युक्त के समूचे प्रभाव, को निश्चित नहीं किया जा सकता।</p>	<p>लेखा परीक्षकों ने वार्षिक लेखों में इस मुद्दे पर वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पहले ही ध्यान आकर्षित किया था। डीटीए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में बनाए गए प्रावधान से संबंधित है जब विमानन उद्योग उच्च ईंधन लागत, वैश्विक मंदी और न्यूनतम लाभ के कारण गंभीर संकट से गुजर रही थी।</p> <p>वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13, में कंपनी ने अपने वित्तीय तथा प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन उपायों के फलस्वरूप कंपनी वर्ष 2012-13 में ईबीआईडीटीए पॉजिटिव हो गई है। वर्ष 2007-08 एवं 08-09 में सृजित डीटीए को कंपनी में वापिस लागू करना, निष्पादन में सुधार के कारण इस परिस्थिति में सही नहीं होगा जिससे प्रबंधन की टर्नअराउंड योजना (टीएपी), जिसका लक्ष्य समयोचित समयावधि में लाभप्रदता प्राप्त करना है, को कार्यान्वित करने में विश्वास की कमी प्रदर्शित होगी।</p> <p>वर्ष 2012-13 में प्रबंधन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप, वर्ष की 2012-13 के दौरान समय पर निष्पादन (ओटीपी), यात्री लोड फैक्टर, विमान बेड़े का उपयोग, विमानों की उपलब्धता, दिनांक 01.07.2012 से पीएलआई की समाप्ति, मार्गों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा हानि वाले मार्गों को बंद किए जाने, सहायक कंपनियों को प्रचालनात्मक किए जाने, परिसंपत्ति मौद्रीकरण कार्यक्रम को लागू करने, नेटवर्क योजना तथा हब नियंत्रण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का अपग्रेडेशन, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू मार्गों पर 787 विमानों से प्रचालन शुरू करने तथा पुराने विमान बेड़े को ग्राउंड किए जाने, डीपीई के मानकों के अनुसार वेतन संरचना को युक्तिसंगत बनाए जाने आदि के कारण निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन उपायों के परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अप्रैल से मार्च, 2013 की अवधि में 22,373.1 मिलियन रुपए की नकद हानि में कमी हुई। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 60,000.0 मिलियन रुपए की राशि प्रदान की और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 50,000.0 मिलियन रुपए प्रदान किए। वर्ष 2011-12 से 20 दिसम्बर, 2013 तक भारत सरकार 12,200.0 मिलियन रुपए दे चुकी है। भारत सरकार द्वारा टीएपी/एफआरपी के अनुसार कुछ निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर इक्विटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कंपनी को बता दिया गया है। टर्नअराउंड योजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में एअर इंडिया के निष्पादन को निकटता से मॉनीटर करने के उद्देश्य से सचिव, नागर विमानन, व्यय सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार तथा संयुक्त सचिव की एक निगरानी समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के पहले 9 महीनों में कंपनी का निष्पादन कुछ हद तक टर्नअराउंड योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही रहा। उपर्युक्त उपायों के</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l g j
<p>3. जैसा कि टिप्पणी सं. 28 में उल्लिखित है कि इस रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय विवरण इस वर्ष कार्यान्वित किए गए सैप-ईआरपी डाटा बेस के आधार पर तैयार किए गए हैं। दस्तावेज स्तर पर अंतरण लेखा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होनी अभी शेष है तथा अंतरण लेखा परीक्षा में पाई गई कुछ टिप्पणियों का अनुपालन शेष है। सैप डाटा बेस में दिए गए शेष लंबित लेखा परीक्षा के पूरा होने तथा टिप्पणियों के सुधार पर निर्भर हैं। अतः इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।</p> <p>4. सहायक कंपनी में विभिन्न शेषों में/कुछ स्थानों में अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं/ आय/व्यय लेखों में डेबिट/क्रेडिट के मिलान सहित पुष्टि तथा मिलान एवं मध्यस्थ/ट्रांजिटरी लेखों के लंबित मिलान के संबंध में जैसा कि टिप्पणी सं. 29, 55 से 57, 63 से 71 तथा 73 में उल्लिखित है। विभिन्न इनवेंटरी संबंधी विक्रेताओं के लेखों तथा अन्य लेखों का नई प्रणाली डाटाबेस के साथ मिलान भी लंबित है तथा जो स्टॉक रिकार्ड नई प्रणाली में नहीं है, उनका पुराने/सैप डाटा के साथ संकलन एवं मिलान किया जा रहा है। इनवेंटरी मदों का वर्षान्त शेष तथा वर्ष के दौरान खपत को नई प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्टों के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है जिनका लेखों के साथ मिलान होना है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता है।</p>	<p>फलस्वरूप कंपनी को विश्वास है कि वह टर्नअराउंड योजना में निर्धारित लक्ष्यों और वर्ष 2018 में कैश पॉजीटिव तथा 2020 तक कर पश्चात् लाभ (पीएटी) में वापसी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।</p> <p>अतः प्रबंधन 28425.2 मिलियन रुपए की शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए आश्वस्त है जिसकी 2007-08 तथा 2008-09 में विलय के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान भविष्य की कर देयताओं के रूप में पहचान की गई थी। सावधानी के तौर पर कंपनी ने 2009-10 से आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) से अधिक आस्थगित कर परिसम्पत्तियों (डीटीए) की पहचान बंद कर दी है अर्थात् आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की पहचान आस्थगित कर देयताओं के बराबर ही की जाती है।</p> <p>प्रचालनात्मक तथा वित्तीय क्षमताओं में सुधार लाने के लिए (जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है) उठाए गए विभिन्न कदमों (भारत सरकार तथा नियामक के सहयोग से) के कारण कंपनी की योजना निकट भविष्य में पर्याप्त लाभ कमाने की है जिससे संचित हानि समाप्त हो जाएगी।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा उसके बाद वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवधि के सभी रिकार्डों के मिलान के उद्देश्य से दस्तावेज स्तर पर माइग्रेशन ऑडिट पूरा करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना जारी रखेगी।</p> <p>कंपनी सब्सिडरी/अन्य लैजर में विभिन्न शेष के साथ डेबिट/क्रेडिट के मिलान पर सिस्टम को सरल बनाने की प्रक्रिया में है। चूंकि यह सैप में हस्तान्तरण का प्रथम वर्ष है, अतः कंपनी को कुछ मध्यस्थ/अस्थायी लेखों में सामंजस्य स्थापित करने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।</p> <p>कंपनी को विश्वास है कि वह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इन समस्याओं का हल निकाल लेगी तथा यदि कोई समायोजन हैं तो उन्हें सैप/ईआरपी डाटाबेस तथा रैमको के साथ सामंजस्य स्थापित होने पर पूरा कर लिया जाएगा।</p> <p>सब्सिडरी/अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं/ आय/व्यय लेखों के विभिन्न शेष में डेबिट/क्रेडिट के मिलान सहित पुष्टि और समाधान एक निरंतर प्रक्रिया है। सैप/ईआरपी सिस्टम में पूर्व शेष के हस्तान्तरण पर, विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य लेजर के साथ संबंधित लेजरों में शेष का मिलान करने के प्रयास किए गए। तथापि, चूंकि सैप/ईआरपी में हस्तान्तरण का यह प्रथम वर्ष था अतः इस सिस्टम के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या सीमित थी और फलस्वरूप इसमें कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां भी थीं जिसके फलस्वरूप विलंब हुआ।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k k a	i z a k u d s m ū k j
<p>5. जैसाकि टिप्पणी सं. 41 में उल्लिखित है कंपनी को लेखा मानक-28 की अपेक्षाओं के अनुरूप क्षति मूल्यांकन करना शेष है तथा विमान बेड़े के क्षति मूल्यांकन लंबित होने से 28,179.50 मिलियन रुपए की राशि के विनिमय अंतर को पूंजीबद्ध किया गया है। जैसाकि टिप्पणी सं. 45 में उल्लिखित है, कुछ विमान तुलन-पत्र तिथि के पश्चात् बेच दिए गए लेकिन क्षति हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया। क्षति हानि के कारण समग्र प्रभाव अनिर्धारित रहा अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p>	<p>तथापि, समय के साथ-साथ कर्मचारियों के सिस्टम को और अधिक समझने से इन असंगत शेष को समय के साथ सुधारना संभव हो जाएगा। इसी प्रकार, कर्मचारी रैमको सिस्टम में प्रशिक्षित हो रहे हैं जो कंपनी को इंटरफेस पूरा होने के बाद सैप पर उपलब्ध डाटा के साथ इनवेंटरी संबंधी विक्रेताओं को समन्वित करने के अतिरिक्त इनवेंटरी लागत को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से रीयल टाइम आधार पर सूचना प्रदान करेगा।</p> <p>यद्यपि कंपनी ने एएस-28 के अनुसार क्षति निर्धारण नहीं किया है, तथापि जो विमान प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वह सभी उड़ान भरने की स्थिति में हैं और राजस्व अर्जित कर रहे हैं तथा उन्हें ऐतिहासिक लागत और विनिमय अंतर में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। कुछ श्रेणी की परिसंपत्तियों, जिन्हें ग्राउंड कर दिया गया है या जिनकी आयु पूरी हो गई है उन्हें "अधिशेष परिसंपत्ति" के तहत एक अलग खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया है।</p> <p>कंपनी ने दिसम्बर, 13 में किसी एयरलाइन को अपने प्रचालित विमान बेड़े में से 5 बी 777-200 एलआर विमानों को टैंडर प्रक्रिया के माध्यम से बेचने का भी निर्णय लिया है। इन विमानों का टाइटल अभी तक उस एयरलाइन को हस्तान्तरित नहीं किया गया है जिसे जनवरी, 2014 में दिए जाने वाले एक विमान को छोड़कर अन्य विमान बेचे गए हैं। कंपनी तुलन पत्र तिथि को दर्शाई गई इन परिसंपत्तियों के मूल्य में किसी भी प्रकार के ह्रास की व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझती क्योंकि यह परिसंपत्तियां लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए दिन में 12-14 घंटों के लिए उपयोग की जाती थीं और यह अनुकूल उड़ान स्थिति में थीं। मुख्य रूप से, अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम ईंधन दक्षता वाले विमान बेड़े को प्रचालित करने के फलस्वरूप होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से इस विमान बेड़े के एक हिस्से को बेचने का निर्णय लिया गया था। अनेक मार्गों पर 787 विमान लगाने के कारण 777-200 एलआर विमानों की उपयोगिता में कमी आई। इस प्रकार की बिक्री तथा तदुपरान्त टाइटल ट्रांसफर के कारण किसी प्रकार की वास्तविक हानि के प्रभाव को बिक्री के वित्तीय वर्ष में लेखांकित किया जाएगा।</p>
<p>6. जैसाकि टिप्पणी सं. 55 (जी) में उल्लिखित है पिछले वर्षों में स्टार एलाइंस में सम्मिलित होने के शुल्क के लिए 639.4 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था जिसे 'आगे प्रावधान अपेक्षित नहीं' में क्रेडिट कर पुनरांकित किया गया जबकि पुनः एकीकरण की प्रक्रिया केवल शुरू ही हुई थी तथा सदस्य बनने का अधिकार अथवा पात्रता अभी संस्थापित की जानी है। इसलिए "ऋण तथा अग्रिम" के तहत आ रहे शेष के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।</p>	<p>स्टार एलाइंस के साथ पुनः एकीकरण की प्रक्रिया नागर विमानन मंत्रालय की सहायता से वर्ष 2011-12 में आरंभ हुई। प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन में सुधार और निरंतर अनुवर्तन को देखते हुए स्टार एलाइंस बोर्ड ने एअर इंडिया को इस एलाइंस से जुड़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा कर पुनः एकीकरण के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। इसके लिए स्टार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाताओं की टीम द्वारा सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है। चूंकि एआई अब शीघ्र ही पूर्णकालिक सदस्य के रूप में एलाइंस से जुड़ने की प्रक्रिया में है, अतः पूर्व में स्टार एलाइंस को सदस्यता शुल्क के लिए किए गए भुगतान के मामले में पहले किए गए भुगतान को अब पुनरांकित/पुनर्नियोजित किया गया है।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l g
<p>7. जैसाकि टिप्पणी सं. 47 में उल्लिखित है कि विमानों की डिलीवरी के समय प्राप्त 1,155.2 मिलियन रुपए की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट हकदारी को स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखा मानक-10 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित करने के स्थान पर आकस्मिक राजस्व में दर्शाया गया है। अतः इतनी हानि भी कम दर्शायी गई है। वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास पर निश्चित प्रभाव की गणना नहीं की गई है, इसलिए यह निर्धारित नहीं है। टिप्पणी सं. 1 (सी) (6) में उल्लिखित लेखा नीति लेखा मानक 10 के अनुरूप नहीं है।</p> <p>8. निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया :</p> <p>क) वर्ष के दौरान जारी एनसीडी पर 350.7 मिलियन रुपए की राशि का गारंटी शुल्क (टिप्पणी सं. 31 देखें)।</p> <p>ख) बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में 4 एकड़ भूमि में से संपत्ति के संबंध में अंतर मूल्य 5390.6 मिलियन रुपए आंका गया तथा पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित होते हुए इसे लेखा बहियों में अग्रोषित किया गया, जबकि 3.54 एकड़ भूमि के लिए संशोधित आबंटन पत्र कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है लेकिन लेखांकन उपाय लंबित है। अतः इस चरण पर इस संबंध में निश्चित राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। (टिप्पणी सं. 33 (ए) देखें)।</p> <p>ग) आवासीय कालोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली के नियमन के लिए 56.6 मिलियन रुपए के अनुमानित व्यय को कंपनी के बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है जबकि अनार्जित वृद्धि, यदि कोई देय है, के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता। (टिप्पणी सं. 33 (बी) देखें)।</p>	<p>कंपनी ने परिसंपत्तियों की लागत को समायोजित करने के बजाय निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट को राजस्व के रूप में लेखांकित करने की पद्धति का निरंतर अनुसरण किया है। यह क्रेडिट विमान पर क्रेता के आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाए गए उपकरण और आपूर्तिकर्ता के विमान पर लगवाए गए उपकरणों से संबंधित है। यह क्रेडिट कलपुर्जों की भावी खरीद या विमान की सुपुर्दगी लेने पर प्राप्त नकद के समायोजनों से प्राप्त हुए हैं। तथापि, विमान/इंजन निर्माताओं से प्राप्त क्रेडिट नोट्स को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया गया है।</p> <p>कंपनी ने वित्तीय वर्ष 12-13 और वित्तीय वर्ष 13-14 तथा वित्तीय वर्ष 16-17 की अवधि तक यानि कंपनी के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एफआरपी के तहत लाभप्रदता की स्थिति में लौटने तक के लिए गारंटी शुल्क में छूट देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को पहले ही आवेदन भेज दिया है। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस प्रकार के शुल्क में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत केबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। नागर विमानन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके सीसीईए को नोट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। यह व्यवस्था होने तक कंपनी ने गारंटी शुल्क को आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया है।</p> <p>इस भूखंड के संबंध में कंपनी के नाम पर पंजीकरण औपचारिकताएं पूरे करने के प्रयास उच्च स्तर पर आरंभ कर दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून, 2013 के पत्र के माध्यम से 1983 के आबंटन पत्र की पूर्व शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार ही 4 एकड़ की भूमि के बदले 3.54 एकड़ की भूमि के लिए संशोधित आबंटन पत्र जारी किया है जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है और दिनांक 26 जून, 2013 को उसका कब्जा ले लिया गया है। जारी किए गए संशोधित आबंटन पत्र के अनुसार, भूमि अधिग्रहण राशि के अंतर को समायोजित करके परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के समय लेखों में दर्शाया जाएगा क्योंकि यह उन परिसंपत्तियों में है जिसे मौद्रीकरण के लिए लक्षित किया गया है।</p> <p>इस संपत्ति के टाइटल को कंपनी के नाम पर बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता को नियुक्त किया गया। इस संबंध में, इस संपत्ति को नियमित करने के लिए वर्ष के दौरान एल एवं डीओ के तकनीकी सैल के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं तथा इस दौरान कंपनी को दिल्ली नगर निगम से योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसे एल एंड डीओ के कार्यालय में जमा करा दिया गया है। अतः, कंपनी को लीज की पुनः बहाली और संपत्ति अधिकारों के नियमित होने की आशा है। कंपनी ने संपत्तियों (जिनके टाइटल डीड में त्रुटि है या वे रद्द हो गए हैं) के संबंध में कंपनी के संपत्ति अधिकारों को पंजीकृत तथा पुनः बहाल करने के उद्देश्य से एक ग्लोबल रियल</p>



Ø-1 a ys k i j h k k f v l i f. k k a	i z a k u d s m ū k j
<p>घ) 24.6 मिलियन रुपए की नेरूल भूमि की खरीद के लिए अग्रिम बकाया जिसमें लीज़ डीड निष्पादित करना, कब्ज़ा देना लंबित है तथा प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है। (टिप्पणी सं० 35 देखें)</p> <p>ङ) सेवा कर के विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना तथा ब्याज (राशि अनिर्धारित) देय, चूंकि लेखों का मिलान किया जा रहा है (टिप्पणी सं. 57 (ई) देखें)।</p> <p>च) बीमांकिक रिपोर्ट के संदर्भ में सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों का अल्प प्रावधान (टिप्पणी (80-डी) देखें)।</p> <p>9. संशोधित अनुसूची VI के तहत प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 84 में उल्लिखित है, नागर विमानन मंत्रालय से ऐसे अप्रकटन के लिए छूट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुसूची VI की अपेक्षाओं का हर संभव अनुपालन किया गया है तथा चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण प्रबंध वर्ग द्वारा किया गया है। अतः लंबित अनुपालनों के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।</p> <p>10. हम लेखों का भाग निर्मित कर रही निम्नलिखित टिप्पणियों में प्रकटन के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके लिए लेखों पर निश्चित वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा:</p> <p>क) टिप्पणी सं. 33 कुछ संपत्तियों के संबंध में प्राप्त की जा रही लंबित पंजीकरण औपचारिकताओं तथा टाइटल डीड्स के संबंध में है, टिप्पणी सं. 37 सैप में अंतरित नहीं किए गए विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के आंकड़ों तथा श्रेणीबद्ध की जाने वाली कुछ स्थिर परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा मिलान के लिए लंबित आंकड़ों के</p>	<p>एस्टेट परामर्शदाता मैसर्स डीटी ज़ेड संपत्ति परामर्शदाता को भी नियुक्त किया है। यह परामर्शदाता कंपनी को उक्त परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान या इन परिसंपत्तियों की मार्केटिंग के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से मौद्रीकरण द्वारा संपत्ति के लेन-देन को नियमित करने में भी सहायता प्रदान करेगा।</p> <p>कंपनी को विश्वास है कि वह सिडको के साथ परामर्श से निश्चित अवधि में लीज़ डीड निष्पादित करा लेगी। कंपनी मौजूदा बाज़ार दरों के 50% बाई बैक सहित संपत्ति के मौद्रीकरण के विभिन्न प्रकारों पर सिडको के साथ चर्चा कर रही है।</p> <p>कंपनी ने सेवा कर देयता के किसी भी विलंबित भुगतान के लिए ब्याज देने का प्रावधान किया है। जुर्माना, यदि कोई है, निश्चित नहीं है।</p> <p>इक्विटी इन्फ्यूज़न में विलंब और कंपनी के समक्ष पेश आ रहे नकदी संकट के कारण कुछ जरूरी भुगतान में विलंब हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के ऊपर सेवा कर देयता का कुछ बकाया शेष है और आशा है कि भारत सरकार से इक्विटी प्राप्त होते ही या उससे पहले इन्हें अदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी नियमित मासिक सेवा कर देयता का समय पर या कुछ आंशिक देरी पर भुगतान कर दिया है।</p> <p>कंपनी ने वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण बीमांकिक द्वारा निर्धारित बीमांकित देयता का स्पष्ट वित्तीय प्रभाव निश्चित किया जाना शेष है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>मैसर्स डीटीजेड संपत्ति परामर्शदाता जिन्हें संपत्तियों के मौद्रीकरण के लिए नियुक्त किया गया है, द्वारा कुछ संपत्तियों की पंजीकरण औपचारिकताओं और टाइटल डीड की निरंतर समीक्षा की जा रही है। टाइटल डीड की त्रुटियों में सुधार होते ही पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l g
<p>संबंध में है, टिप्पणी सं. 40 (बी) तथा (सी) कुछ परिसंपत्तियों के शेष जीवन के पुनःकार्य तथा मूल्यह्रास के संबंध में है, इनका वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा।</p> <p>ख) टिप्पणी सं. 34 अतिरिक्त भूमि का विकास न किए जाने के संबंध में सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम को पूंजीकृत किए जाने के संबंध में है।</p> <p>ग) टिप्पणी सं. 36, 53 तथा 56 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में हाथ में नकदी के वास्तविक सत्यापन तथा स्थिर परिसंपत्तियों एवं इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के संबंध में अपेक्षित सुधार तथा हाथ में नकदी तथा बैंक लेखों के मिलान के संबंध में है।</p> <p>घ) जैसाकि टिप्पणी सं. 43 में उल्लिखित है सक्रिय उपयोग से हटाई जा चुकी तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की भी पहचान की जा रही है। लेखा मानक 10 का अनुपालन लंबित है।</p> <p>ङ) टिप्पणी सं. 44 "सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट हकदारियों" के लिए असाधारण मदों के रूप में प्रकट की गई 7416.8 मिलियन रुपए की राशि तथा "ऋण एवं अग्रिम" के तहत अग्रेषित 7369.09 मिलियन रुपए की राशि इसकी बढ़ाई गई वैधता के दौरान उपयोग के लिए समायोजित किए जाने के संबंध में है। इस राशि की वसूली परियों की वैधता की अवधि बढ़ाने पर निर्भर करती है। वर्षान्त तक उपयोग की गई राशि तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त पुष्टि के अनुसार 24.1 मिलियन रुपए को लेखाबद्ध की जाने वाली शेष राशि के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष के लिए इस सीमा तक हानि कम दर्शायी गई है।</p>	<p>जहां तक स्थायी परिसंपत्तियों को रेखांकित किए जाने तथा डाटा के लंबित समन्वयन का संबंध है, चूंकि यह स्थायी परिसंपत्तियों के सैप में हस्तांतरण का प्रथम वर्ष है, जिसमें अभी काफी कार्य होना और आवश्यक रीवर्किंग की जानी शेष है। इसके वित्तीय प्रभाव को रिकार्डों के मिलान के बाद निश्चित और लेखांकित कर दिया जाएगा। प्रबंध वर्ग के विचार से इसके प्रभाव को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समाहित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को विस्तृत किया जा रहा है। राजस्व प्रबंधन तथा लेखांकन, ईंधन/इनवेंटरी नियंत्रण तथा कैटरिंग प्रबंधन जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों में सहयोग के लिए मैसर्स केपीएमजी को भी नियुक्त किया गया है। उत्तरोत्तर, प्रबंधवर्ग की योजना अन्य क्षेत्रों में भी आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने की है ताकि इनकी दक्षता में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों तथा पैमानों पर कंपनी के मानदंड बन सकें। यह कंपनी को स्टार एलाइंस में शामिल होने के लिए जरूरी विभिन्न न्यूनतम अपेक्षाओं को सहज रूप से एकीकृत करने में भी सहायता प्रदान करेगी।</p> <p>वर्ष के दौरान कंपनी को सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के तहत वित्त वर्ष 09-10 तथा 10-11 हेतु 7416.8 मिलियन रु. की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई थी। इन स्क्रिपों का प्रयोग किसी भी पूंजीगत मदों जैसे कलपुर्जा, कार्यालय उपकरणों तथा एविएशन टर्बाइन पयूल (एटीएफ) जैसी उपभोज्य मदों की कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रयोग करने की अनुमति है। साथ ही नीति के अनुसार इन स्क्रिपों का प्रयोग सहायक कंपनियों सहित संबद्ध कंपनियों द्वारा किए जाने की अनुमति है। कंपनी ने डीजीएफटी से इस विषय में स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर लिया है कि स्क्रिप का उपयोग घरेलू स्रोतों से प्राप्त एटीएफ पर लागू उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भी उनके साथ हुए समझौते के तहत एटीएफ के उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु कंपनी को एसएफआईएस स्क्रिपों के प्रयोग की अनुमति देने की सहमति दे दी है। एटीएफ खरीद के लिए ड्यूटी के भुगतान हेतु एसएफआईएस स्क्रिपों के प्रयोग की प्रक्रिया पर वित्त मंत्रालय के ड्यूटी ड्रॉ बैंक प्रभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसके पश्चात् इसे लागू कर दिया जाएगा। कंपनी द्वारा इन स्क्रिपों का प्रयोग अगले कुछ वर्षों में उक्त देयताओं के भुगतान हेतु किया जाएगा।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l g
<p>च) टिप्पणी सं० 48 (i)(सी) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के समान अल्पकालिक ऋणों पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है, टिप्पणी सं० 48 (ii) कुछ अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस) के संबंध में है जो वर्ष के अंत में एफ ई डी ए आई दरों पर नहीं दी गई है। टिप्पणी सं० 49 अलग से नहीं दर्शाई गई, कुछ लेन-देन के निपटान अथवा रिपोर्टिंग पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है तथा पैरा 48 (i)(बी) विनिमय अंतरों के उपचार के संबंध में है जो 31 मार्च, 2011 तक की अवधियों के संबंध में ब्याज लागत के लिए समायोजन माने गए तथा</p> <p>ये ऋण लागत संबंधी लेखा मानक-16/विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव संबंधी लेखा मानक-11 के अनुसार नहीं है।</p> <p>छ) टिप्पणी सं० 50 वायुदूत लि० के लंबित विलय से उत्पन्न वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, के संबंध में है।</p> <p>ज) टिप्पणी सं० 51 व 52 कुछ स्थानों/स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने तथा रिकार्डों के उचित मेंटेनेंस से संबंधित है।</p> <p>झ) टिप्पणी सं. 54 कुछ मदों को नकद आधार पर लेखांकित किए जाने के संबंध में है।</p> <p>ञ) टिप्पणी सं. 57 (i) बिलों के न होने पर कुछ व्ययों के लिए किए गए तदर्थ प्रावधान के संबंध में है।</p> <p>ट) टिप्पणी सं. 59 छलपूर्ण लेन-देन से उत्पन्न लंबित लेखांकन समायोजनों के संबंध में है।</p>	<p>पिछले अनुभव के आधार पर कंपनी को इन स्क्रिपों की समाप्ति के पश्चात् भी डीजीएफडी की पॉलिसी रिलैक्सेशन समिति द्वारा समयावधि में छूट मिलने का विश्वास है जिससे कंपनी इन स्क्रिपों का पूर्णतया उपयोग कर पाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन उद्योग हेतु स्क्रिपों की वैधता बढ़ाने के मुद्दे को राजस्व सचिव के साथ उठाया है। अतः कंपनी ने 7416.8 मिलियन रुपए की ड्यूटी स्क्रिपों के पूरे मूल्य को लाभ-हानि खाते में असाधारण मद के रूप में क्रेडिट कर दिया है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>मूल कंपनी के साथ वायुदूत का विलय वित्तीय वर्ष 2013-14 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा विलय वर्ष में ही इसके प्रभाव का प्रावधान किया जाएगा। तथापि होल्डिंग कंपनी के खातों में सभी देयताओं के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है।</p> <p>13 जनवरी से कंपनी ने सैप ईआरपी प्रणाली पर कार्य करना आरंभ कर दिया है जिससे विविध स्थानों/स्टेशनों पर आंकड़ों की जांच के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सकेगी। विभिन्न स्तरों पर लेखांकन नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यान्वयन भागीदार मै. आईबीएम को सैप ईआरपी प्रणाली में विविध स्तरों पर नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए कहा गया है। कार्यान्वयन के तीसरे चरण में गवर्नेन्स रिस्क कम्पलायंस (जीआरसी) के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>जब कुछ मदों के अर्जन का युक्तिसंगत अनुमान लगा पाना संभव न हो तो उसकी गणना नकद आधार पर की जाती है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी द्वारा कोलकाता में एक कर्मचारी द्वारा कंपनी की निधि के दुरुपयोग की घटना की जांच की जा रही है। चूंकि जांच अभी जारी है, अतः संबद्ध राशि का लेखाकरण नहीं किया गया है।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m ū g
<p>ठ) टिप्पणी सं. 61 (डी) एअर इंडिया चार्टर लि. से राजस्व शेयर अनंतिम आंकड़ों पर लेखाबद्ध किए जाने के संबंध में है।</p> <p>ड) टिप्पणी सं. 63 विमान इनवेंटरी के लंबित मिलान तथा अचल इनवेंटरी को निश्चित करने के संबंध में है, जिसके संबंध में</p> <p>ढ) टिप्पणी सं 65 विमानों के परिष्कार के लिए बने उन कलपुर्जों के संबंध में है (राशि निर्धारित नहीं) जिन्हें इनवेंटरी में दर्शाया जा रहा है जो एस-10 के साथ पठित एस-2 के अनुसार नहीं है।</p> <p>ण) टिप्पणी सं 76 एवं 77 – सहायक कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि का संज्ञान न होने के संबंध में है तथा परिणामस्वरूप “निवेश के लिए लेखांकन” संबंधी एस-13 का अनुपालन किए जाने के लिए इसमें निवेश के मूल्य में हुई कमी का प्रावधान नहीं किया गया है तथा इन सहायक कंपनियों के बकाया अग्रिमों के संबंध में प्रावधान न किए जाने के संबंध में है जबकि इन कंपनियों की नेटवर्थ पूर्णतया समाप्त हो गयी और ये कंपनियां निरंतर हानि उठा रही हैं। इन देयों की वसूली इन कंपनियों के टर्नअराउंड पर निर्भर करती है तथा इनका निश्चित प्रभाव अनिर्धारित बना रहा।</p> <p>त) टिप्पणी सं. 79 (ए) व (ई) वेतन बकाया के तदर्थ प्रावधान तथा कर्मचारी के देयों के लंबित लेखांकन के संबंध में है।</p>	<p>एआईसीएल लेखों की लेखा परीक्षा जारी है तथा राजस्व अंश की गणना अनंतिम आंकड़ों के आधार पर की गई है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>विमान में बदलाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले कलपुर्जों को विमान में लगाए जाने तक इनवेंटरी माना जाता है। कंपनी वर्षों से इस प्रक्रिया का निरंतर अनुपालन कर रही है।</p> <p>सहायक कंपनियों के संचित घाटे हैं तथा 31.3.13 तक इनकी नेटवर्थ में क्षय हुआ है। तथापि वर्तमान में लागू टीएपी तथा एफआरपी के चलते, प्रबंध वर्ग के मतानुसार, परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई ह्रास नहीं हुआ है, अतः ऐसी हानि के लिए, बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी की संचित हानि संबंधी सूचना को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 की अपेक्षानुसार विवरणी में संलग्न किया गया है। प्रबंध वर्ग का विश्वास है कि भविष्य में वे सहायक कंपनियों में इक्विटी मूल्य को, स्ट्रैटिजिक पार्टनर को इक्विटी के विनिवेश या इन इकाईयों के बाजार अंश में वृद्धि या इनके टर्नओवर में राजस्व अंश से प्राप्त कर सकेंगे।</p> <p>यह कथन सही है।</p>
<p>11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि परिणाम निर्धारित करने योग्य विस्तार के प्रभाव पर विचार करते हुए, उपर्युक्त पैरा 1 से 10 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर पूर्वावधि समायोजनों को छोड़कर वर्ष के लिए 13,027.2 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए कर पश्चात् हानि पर संचयी प्रभाव के साथ पूर्वावधि समायोजन 28,425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए तथा उक्त को तुलन पत्र में अग्रेषित करते समय 41,452.4 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए जिससे 41,452.4 मिलियन रुपए की संचित हानि कम दर्शायी गई, इनवेंटरी 10,294.6 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए हानि पर परिणामात्मक प्रभाव निश्चितता से निर्धारित नहीं किया गया, वर्तमान देयताएं 889.3 मिलियन रुपए कम दर्शायी गई, स्थिर परिसंपत्तियां 1,155.2 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई, वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम 688.2 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति शून्य रुपए रही होगी। टिप्पणी सं. 82 में गणना की गई प्रति शेयर आय यहां दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है।</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणी नोट कर ली गई हैं।</p>



Ø-1 a ys lk ij h lk fVl i f. k la	i zaku ds mlg
<p>DokylQkbM er हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 'क्वालीफाइड मत के लिए आधार' वाले पैराग्राफ में वर्णित तथ्य के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं:</p> <p>क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति। ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि। ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।</p> <p>ekeys dk eglo</p> <p>i) जैसाकि टिप्पणी सं. 79 (सी) में उल्लिखित है कंपनी ने धर्माधिकारी रिपोर्ट, जो न्यायाधीन है, का कार्यान्वयन लंबित होने के कारण जुलाई, 2012 से विभिन्न वर्गों को देय भत्तों की 75% राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया है। 2361.4 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान न किए गए भत्ते आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।</p> <p>ii) जैसाकि टिप्पणी सं. 60 में उल्लिखित है वर्ष के दौरान हमने कंपनी के कुछ चुने हुए विदेशी तथा घरेलू स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य इन स्टेशनों/शाखाओं में मेंटेन किए गए मूल रिकार्डों की समीक्षा तथा उसके लिए आंतरिक नियंत्रण की जांच करना था। ये दौरे प्रबंध वर्ग द्वारा अंतिम रूप दिए गए शेड्यूल के अनुसार किए गए थे। लेखा परीक्षित नहीं किए गए अन्य स्टेशनों के लेखे संबंधित स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी के समेकित लेखों में सम्मिलित किए गए।</p> <p>iii) जैसाकि टिप्पणी सं. 73, 76, 77 तथा अन्य मामलों में उल्लिखित है कि जहां कहीं भी कंपनी ने सहायक कंपनियों/सामूहिक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन किया है तो इन लेन-देनों में समानता का संबंध निर्धारित नहीं किया गया।</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणी नोट कर ली गई हैं।</p> <p>धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने तक कर्मचारियों को देय विविध भत्तों में कंपनी ने 25% की तदर्थ कटौती की है। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने 28 जनवरी 2014 के आदेश में वेतन तथा भत्तों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निदेश दिए हैं तथा कार्यस्थितियों में परिवर्तन संबंधी विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9ए के तहत निर्देशन हेतु भेज दिया है। प्रबंध वर्ग का विचार है कि कर्मचारियों की वेतन संरचना को युक्ति संगत बनाए जाने तक इस राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाए तथा इसके प्रभाव की गणना कार्यान्वयन के वर्ष में की जाए।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>सहायक कंपनियों के संचित घाटे हैं तथा 31.3.13 तक इनकी नेटवर्थ में क्षय हुआ है। तथापि वर्तमान में लागू टीएपी तथा एफआरपी के चलते प्रबंध वर्ग के मतानुसार, परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई ह्रास नहीं हुआ है, अतः ऐसी हानि के लिए, बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी की संचित हानि संबंधी सूचना को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 की अपेक्षानुसार विवरणी में संलग्न किया गया है। प्रबंध वर्ग का विश्वास है कि भविष्य में वे सहायक कंपनियों में इक्विटी मूल्य को, स्ट्रैटिजिक पार्टनर को इक्विटी के विनिवेश या इन इकाईयों के बाजार अंश में वृद्धि या इनके टर्नओवर में राजस्व अंश से प्राप्त कर सकेंगे।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m l k j
<p>iv) लेखों का भाग निर्मित कर रही टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:</p> <p>1) टिप्पणी सं. 88 कंपनी के वित्तीय विवरण गोडंग कंसर्न आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उक्त आधार की उपयुक्तता अन्य के साथ-साथ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार से इक्विटी प्राप्त करने की कंपनी की योग्यता, बेहतर प्रचालनात्मक/वित्तीय निष्पादन तथा सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउंड योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।</p> <p>2) टिप्पणी सं. 57(डी) तेल कंपनियों को 3,038.3 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान किए गए। देय विलंबित भुगतान प्रभारों तथा टीडीएस/सेवाकर के विलंबित भुगतान पर 659.3 मिलियन रुपए के ब्याज को "वित्तीय लागत" में दर्शाए जाने के संबंध में है जबकि उक्त मदों को पिछले वर्षों में "अन्य व्ययों" के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। अतः पिछले वर्षों संबंधी प्रकटनों को तदनुसार पुनः समूहबद्ध किया गया।</p> <p>3) टिप्पणी सं. 83 एमएसएमई को देय राशि तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के संबंध में है जिसका निर्धारण किया जाना शेष है।</p> <p>हमारी राय इन मामलों के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।</p> <p>vU; oskfud rFlk fofu; led viskvlaij fjikWZ</p> <p>1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 4 तथा 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।</p> <p>2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:</p> <p>i) "क्वालीफाइड मत के आधार" पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों को छोड़कर हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।</p>	<p>अपनी कार्यशील पूंजी ऋण को पुनः व्यवस्थित करने हेतु कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2011 से वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) लागू की है। टर्नअराउंड योजना सहित एफआरपी के माध्यम से कंपनी अपने वित्तीय व प्रचालन निष्पादन में सुधार कर सकेगी। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2011-12 में एफआरपी प्रारंभ होने से दिसम्बर, 2013 तक सरकार से 122,000 मिलियन की इक्विटी प्राप्त हुई है। बैंकों के लघु अवधि ऋणों को चुकाने के लिए भारत सरकार ने 74000 मिलियन के जारी एनएसडी के लिए गारंटी प्रदान कर कंपनी को सहायता प्रदान की। भारत सरकार भविष्य में भी यानि वित्तीय वर्ष 20-21 तक कंपनी में इक्विटी लगाने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि कंपनी सरकारी गारंटी प्राप्त ऋणों तथा एनएसडी पर ब्याज का भुगतान कर सके। उपरोक्त के मद्देनजर कंपनी भविष्य में प्रचालन व वित्तीय निष्पादन में निरंतर सुधार की अपेक्षा कर रही है तथा असाधारण परिस्थितियों या नियंत्रण से बाहर के घटकों को छोड़ दें तो कंपनी के वर्ष 2018 में कैश पोजीटिव व वर्ष 2020 में पेट पोजीटिव होने की आशा है। भारत सरकार की सहायता से तथा कंपनी द्वारा अपने प्रचालन निष्पादन में सुधार हेतु किए गए उपायों के कारण भविष्य में कंपनी को वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार की आशा है अतः लेखे गोडंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।</p> <p>यह कथन सत्य है चूंकि तेल कंपनियों को देय वित्तीय लागत उनकी कार्यशील पूंजी की लागत को दर्शाता है जो हमें अग्रेषित कर दी गई है तथा जो अधिकांशतः ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए है अतः इसे वित्तीय लागत के रूप में लिया गया है।</p> <p>यह कथन सत्य है। तथापि एमएसएमई के तहत आने वाले ऐसे ज्ञात उपक्रमों को भुगतान निर्धारित समय सीमा/आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत तिथि को कर दिया गया है अतः देरी से किए गए भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं।</p>



Ø-1 a ys k ij h k fVi f. k la	i zaku ds mUg
<p>ii) हमारी राय में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं किए गए बिजनेस क्षेत्रों/स्टेशनों/स्थानों सहित से प्राप्त सूचना/विवरणी सम्मिलित करते हुए कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में मेंटेन की गई इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।</p> <p>iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए स्टेशनों/स्थानों से प्राप्त विवरणी के अनुरूप है।</p> <p>iv) "क्वालीफाइड मत के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित प्रभाव मामले को छोड़कर हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणी में अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3 सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।</p> <p>v) अधिनियम की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।</p> <p>vi) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 441 (ए) के तहत ऐसी कोई अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किस दर से एवं किस रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी पर कोई भी शुल्क लंबित एवं देय नहीं हैं।</p>	



Lora- ys[k ijh[k dh fjiWZds vugXud

l el d; d frffk dh gekjh ys[k ijh[k fjiWZ dh vU; oSMud rFk fofu; led vis[kvka ij fjiWZ ds rgr i\$ k 1/2 ea mfYyf[kr

Ø-1 a ys[k ijh[k fVlif. k la	i xaku ds mUkj
<p>1. (क) मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण से संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए रोटेबल्स सहित, स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित रिकार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।</p> <p>(ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है। यह देखा गया कि वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया गया। सूचित किया गया कि प्रत्यक्ष सत्यापन की यह प्रक्रिया सुसंगत की जा रही है, इस कारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सका। 2010-12 की दो वर्षों की अवधि के दौरान पाई गई विसंगतियां भी कुछ स्थितियों में लेखांकन कार्रवाई के तहत हैं। लेखांकन नीति का अनुपालन न होने तथा वित्तीय रिकार्ड के साथ उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों का पूर्ण मिलान न होने के कारण हम किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन तथा किसी सीमा तक किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन से मिली किसी सामग्री संबंधी विसंगति को निर्धारित करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं. 36 देखें)</p> <p>(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।</p>	<p>कंपनी स्थायी परिसंपत्ति मॉड्यूल को कार्यान्वित कराने की प्रक्रिया में है जो स्थान ब्यौरे और सैप ईआरपी सिस्टम के मात्रात्मक विवरण सहित स्थायी परिसंपत्तियों के आंकड़ों को सरल और कारगर बनाएगा।</p> <p>वास्तविक सत्यापन एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा स्थायी परिसंपत्तियों के बहीखातों और वास्तविक भंडार में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई। नई सैप प्रणाली में स्थिर परिसंपत्ति के आंकड़े स्थानांतरित करते समय त्रुटि का पता चलने पर निर्धारित प्रक्रिया/पद्धति को अपनाते हुए उसे बहीखातों में समायोजित कर लिया जाएगा।</p> <p>यह कथन सही है।</p>
<p>2. (क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है। तथापि इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया गया है तथा इन्वेंटरी के केवल एक हिस्से का ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है।</p> <p>(ख) प्रबंध वर्ग द्वारा निरंतर आधार पर इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली कंपनी द्वारा घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप होनी आवश्यक है। वर्ष के दौरान किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन बहुत ही कम है और इन्हें और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं।</p>



Ø-1 a ys k i j h k k f v l i f. k l a	i z à k u d s m ū k j
<p>आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन को कवरेज तथा फ्रीक्वेन्सी की दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इनवेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं।</p> <p>ग) इनवेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी अंतरित किए गए मूल्य तथा मदों की मात्रा के स्रोत के संदर्भ में नई प्रणाली में विमान संबंधी इनवेंटरी के रिकार्डों को अद्यतन तथा उनमें सुधार करती है तथा गैर-विमान भंडार का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ करना होता है। स्टोर्स में रखी गई इनवेंटरी तथा उसके उपयोग से संबंधित केन्द्रीकृत रिकार्डों का वित्तीय रिकार्डों के साथ पूरी तरह से मिलान किया जाना आवश्यक है। (टिप्पणी सं. 62 व 63 देखें)</p> <p>बही रिकार्डों की तुलना में इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों का संबंधित विभाग द्वारा की जा रही संवीक्षा के आधार पर मिलान और समायोजन किया जा रहा है और उसके उपरांत लेखा खातों में उसे उचित रूप में दिखाया जाएगा।</p> <p>3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मा अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। इसके अंतर्गत सहायक कंपनियों को दिया गया ब्याज रहित अग्रिम सम्मिलित नहीं है जो चालू लेखों की प्रकृति का है तथा जहां पुनः भुगतान की शर्त भी उल्लिखित नहीं की गई हैं।</p> <p>(ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हित में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें सहायक कंपनियां सम्मिलित नहीं हैं जिसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p> <p>(ग) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हित में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।</p>	<p>यह नया इनवेंटरी एमआरओ पैकेज मदवार विवरण के संबंध में प्राप्तियों, इश्यू (निर्गम), स्टॉक और स्टोर्स जैसे इनपुट संबंधी पर्याप्त आंकड़ों के साथ-साथ विभिन्न स्थानों के बीच इनवेंटरी संचालन के मुद्दों को सुलझा लेगा। सैप ईआरपी सिस्टम के इंटरफेस के साथ, रैमको सिस्टम विभिन्न स्थानों पर विमान कलपुर्जों की उपलब्धता, उपभोग विवरण और वित्तीय रिकार्डों के समन्वय पर ऑनलाइन तथा रियल-टाइम सूचना प्रदान करेगा।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m ū k j
<p>(घ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मा अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिया है।</p> <p>(ङ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>
<p>4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन तथा इनवेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है। कंपनी, इनवेंटरी, फुटकर देनदार/लेनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेजरों का सामान्य लेजर से मिलान कर रही है (टिप्पणी सं. 29 देखें)। प्रबंध वर्ग को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को दूर करने में मिल रही निरंतर असफलता पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।</p>	<p>कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रणों को निरंतर मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि वह इसे अपने व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुकूल बना सके। आईटी सिस्टम को भी व्यवसाय की जटिलताओं के साथ सामंजस्य बनाने के लिए निरंतर अपग्रेड किया जा रहा है। सैप ईआरपी तथा स्थायी परिसंपत्ति मॉड्यूल के लागू होने के साथ ही कंपनी की परिसंपत्तियां निर्धारित अनुमोदन के बाद व्यवस्थित आधार पर रिकार्ड की जाती हैं। चूंकि, सैप लेखांकन का यह प्रथम वर्ष है, अतः इसमें कुछ मिलान और हस्तान्तरण संबंधी मुद्दे लंबित हैं, जिनका आने वाले वर्षों में निराकरण कर दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर सैप को अंतरित की गई मेल नहीं की गई वस्तुओं एवं खातों के पहचान की प्रक्रिया एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की जा रही है तथा उनकी रिपोर्टों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>5. (क) हमारे द्वारा प्रयोग की गई लेखा परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।</p> <p>(ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाज़ार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>
<p>6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।</p>	<p>यह कथन सही है।</p>
<p>7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑनलाइन स्टेशनों व क्षेत्रीय मुख्यालयों, पंजीकृत कार्यालय</p>	<p>आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सभी गतिविधियों को सम्मिलित कर एक विस्तृत न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम बनाता है। जिसके अंतर्गत भारत एवं विदेशों के सभी स्टेशनों की जांच सम्मिलित होती है। आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र को एमएपी में पर्याप्त ढंग से परिभाषित किया गया है तथा विभिन्न</p>



Ø-1 a ys k i j h k k f v l i f. k l a	i z a k u d s m ū k j
तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बहियों में दर्शाए गए अंत शेष की आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जानी अपेक्षित है।	इकाइयों/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय की सभी आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों में इसका पालन किया जा रहा है। आन्तरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र को वर्ष के दौरान विस्तृत किया गया ताकि नैरो बॉडी प्रचालनों के आंतरिक लेखा परीक्षा स्तर को बढ़ाया जा सके और इसमें वाइड बॉडी प्रचालन भी सम्मिलित किए जा सकें। कुछ मुख्य गतिविधियों को आउट-सोर्स करके आंतरिक लेखा परीक्षा को भी सुदृढ़ बनाया गया है ताकि उसे कंपनी के व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।	यह कथन सही है।
9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराया है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:	
• विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।	यह कथन सही है।
• कॉन्ट्रैक्टरों/सब कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के कुल 34.5 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को उनकी पंजीकरण संख्या न होने के कारण अलग बैंक खाते में रखा गया है।	यह कथन सही है।
• कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। इसमें तेल कंपनियों को विलंब से किए गए भुगतान पर टीडीएस यदि नहीं काटा गया है तो वह सम्मिलित नहीं होता है। (टिप्पणी सं. 57 (डी) देखें) तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।	यह कथन सही है।
• कंपनी वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का समायोजन कर रही है।	यह कथन सही है।
• इनपुट क्रेडिट सहित सेवा कर प्राप्त किया जाता है तथा टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईएस, प्रोफेशन टैक्स तथा एयरपोर्ट टैक्स के खातों का	यह कथन सही है।



Ø-1 a ysłk ijłłk fVlif. k la	i xaku dsmłkj												
<p>मिलान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में सांविधिक देयों के भुगतान में कुछ विलंब हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 31.03.2013 तक कंपनी द्वारा 691.7 मिलियन रुपए का अविवादित सेवा कर तथा 229.9 मिलियन रुपए का आयकर देय है जो छह माह से अधिक समय से बकाया है। <p>जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2013 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों (टिप्पणी सं. 57 व 58 देखें)।</p> <p>(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :</p> <table border="1" data-bbox="312 1057 885 1459"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 1057 468 1161">vfefu; e dk ule</th> <th data-bbox="468 1057 598 1161">jk' k %efy; u #i, e%2</th> <th data-bbox="598 1057 885 1161">ns ładk izłkj , oa U; k ky; t gkafooln y%cr g%a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 1161 468 1260">आयकर अधिनियम, 1961</td> <td data-bbox="468 1161 598 1260">424.3</td> <td data-bbox="598 1161 885 1260">कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1260 468 1360">सीमा शुल्क तथा सेवा कर</td> <td data-bbox="468 1260 598 1360">4313.0</td> <td data-bbox="598 1260 885 1360">कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1360 468 1459">नगर निगम कर/गृह कर/चुंगी</td> <td data-bbox="468 1360 598 1459">23.1</td> <td data-bbox="598 1360 885 1459">नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर/चुंगी</td> </tr> </tbody> </table>	vfefu; e dk ule	jk' k %efy; u #i, e%2	ns ładk izłkj , oa U; k ky; t gkafooln y%cr g%a	आयकर अधिनियम, 1961	424.3	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।	सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4313.0	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर	नगर निगम कर/गृह कर/चुंगी	23.1	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर/चुंगी	<p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी के समक्ष पेश आ रही नकदी की कमी के कारण कुछ सांविधिक देयों के भुगतान में विलंब हुआ। तथापि, इनका भुगतान बाद में किया गया।</p> <p>यह कथन सही है।</p>
vfefu; e dk ule	jk' k %efy; u #i, e%2	ns ładk izłkj , oa U; k ky; t gkafooln y%cr g%a											
आयकर अधिनियम, 1961	424.3	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।											
सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4313.0	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर											
नगर निगम कर/गृह कर/चुंगी	23.1	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर/चुंगी											
<p>10. संचित हानि कंपनी के निवल लाभ से अधिक हो गई है तथा वर्तमान तथा विगत एवं चालू वित्तीय वर्षों में नकद हानि हुई है, तथापि, कंपनी के लेखे गोईंग कन्सर्न आधार पर इस अनुमान से तैयार किए गए हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है और भविष्य में इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 88)।</p> <p>11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों के भुगतान में चूक नहीं हुई है। तथापि, तुलन पत्र में दर्शाई गई तिथि को 178.1 मिलियन रुपए का पुराना ऋण तथा ऋणों पर 298.4 मिलियन रुपए के ब्याज का भुगतान बकाया है। यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान मूल तथा ब्याज के भुगतान में देरी हुई है।</p>	<p>यह कथन सही है। गोईंग कन्सर्न पर नोट 88 का संदर्भ लें।</p> <p>यह कथन सही है।</p>												



Ø-1 a ys k i j h k f v l i f. k l a	i z a k u d s m ū k j
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्ड के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं।	यह कथन सही है।
13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
14. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।	यह कथन सही है।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है। इस गारंटी की शर्त प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।	यह कथन सही है।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है।	यह कथन सही है।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण समीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है कि अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है।	यह कथन सही है।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है।	यह कथन सही है।
19. वर्ष के दौरान 74,000 मिलियन रुपए की राशि के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए गए जिसे भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है।	बैंकों से लिए गए अल्पकालिक ऋणों का आंशिक तौर पर पुनः भुगतान करने के लिए वर्ष के दौरान 74,000.0 मिलियन रुपए का एनसीडी जारी किया गया। यह एनसीडी 9.08% की कूपन दर पर एलआईसी तथा ईपीएफओ के पास रखे गए जो अर्धवार्षिक रूप में देय है।
20. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की।	यह कथन सही है।
21. वर्ष के दौरान कंपनी के बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच भारत में सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखा परीक्षा पद्धतियों का अनुपालन करते हुए की गई और इस दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया या कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित किया गया।	यह कथन सही है।